राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 264/2011/जयपुर

मैसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज,
4, विकास नगर एक्सटेंशन, झोटवाडा,
जयपुर (हैड ऑफिस) ब्रांच/फैक्ट्री एच–190,
थर्ड फेज इण्ड0 एरिया, बोरानाडा, जोधपुर ....अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचन प्रथम, जोधपुर
2. उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, जयपुर .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह, आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 14.06.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 21/अपील्स–IV/2009–10 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन प्रथम, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.03.2009 के जरिये कायम की गयी मांग शास्ति रूपये 64,688/– एवं कर रूपये 26,953/– कुल मांग राशि रूपये 91,654/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकरी द्वारा दिनांक 08.03.2009 को वाहन संख्या आर.जे.14/1जी–5686 को जोधपुर से जयपुर जाते समय रोक कर चैक किया गया। वाहन में लोहे के फोल्डिंग पलंग भरे पाये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल की जांच करने पर मैसर्स के.एस. गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर की बिल्टी संख्या 715 दिनांक 18.03.2009 व चालन नम्बर 325 दिनांक 18.03.2009 जिसमें मैसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज, जयपुर ब्रांच जोधपुर व मैसर्स रवि इन्टरनेशनल, जयपुर के नाम से पेश किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने संदेहास्पद व अपूर्ण दस्तावेज होने के कारण माल प्रभारी को अधिनियम की धास 76(5)(ए) के तहत नोटिस दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2009 को अपीलार्थी के

निरन्तर.....2

व्यवसाय स्थल पर जाकर जांच की गई जहां श्री इमाम फर्म के मुनीम के मिलने पर उनसे पूछने पर बताया गया कि उक्त चालान उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया तथा इस चालान बुक के अलावा कोई अन्य दस्तावेज ब्रांच पर संधारित नहीं पाये गये जिससे नियमित दस्तावेजों की जांच की जा सके। कर निर्धारण ने अवलोकन से पाया कि चालान अपूर्ण था, माल की दर, मूल्य व वैट का कोई उल्लेख नहीं था तथा जोधपुर स्थित ब्रांच पर कोई लेखा पुस्तकें संधारित नहीं थी जिससे प्रस्तुत चालान का सत्यापन हो सके। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी पर शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी जयपुर में पंजीकृत है जिसके टिन नं0 08981661090 है तथा अपीलार्थी की ब्रान्च जोधपुर स्थित है जहां पर अपीलार्थी की फैक्ट्री है, अपीलार्थी द्वारा फैक्ट्री स्थित जोधपुर से मैसर्स रवि इन्टरनेशनल, जामडोली, जयपुर को माल लोहे के पलंग जो कि DG & SD के क्रयादेश के तहत मिलिट्री को सप्लाई किये जाने थे, एप्रुवल बेसिस पर जयपुर प्रेषित किये गये थे, जिसके साथ अपीलार्थी की जोधपुर ब्रान्च का चालान संख्या 325 दिनांक 18.03.2009 मौजूद था, जिसमें लोहे के पलंग 375 नग अंकित थे तथा वाहन संख्या अंकित था परन्तु रेट की जगह as per RC (रेट कॉन्ट्रेक्ट) अंकित था। अतः यह माल एप्रुवल बेसिस पर परिवहनित किया जा रहा था, वास्तव में बिक्री नहीं हुई थी इस कारण अधिनियम की धारा 72 के आधार पर इसका वैट इन्वाइस जारी नहीं किया गया, बल्कि चालान जारी किया गया जो प्रावधानों के अनुसार था। चूंकि उक्त माल अपीलार्थी की सिस्टर कन्सर्न द्वारा मिलिट्री को सप्लाई किया जाना था, अतः करवंचना कि कोई गुजाइश नहीं थी क्योंकि उक्त माल DG & SD rate contract के तहत ही सप्लाई किया जाना था जो कि किसी भी हालत में बिना बिल के सप्लाई नहीं किया जा सकता था। उनका यह भी कथन है कि धारा 76(2)(b) के अंतर्गत परिवहनित माल के दस्तावेजों में Bill of Sale के साथ–साथ डिस्पेच मीमो भी अनुमत है, अतः माल के साथ पाया गया चालान डिस्पेच मीमो की श्रेणी में होने से धारा 76(2)(b) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने अपने इन कथनों के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

निरन्तर.....3

4. प्रत्यर्थी की ओर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि मार्गस्थ माल के साथ विधिवत्त रूप से जारी बिल नहीं पाया गया था तथा जोधपुर स्थित फर्म के ब्रांच व्यवसाय स्थल पर लेखा पुस्तकें आदि नहीं पायी गई थी जिससे परिवहनित माल की खरीद बिक्री का सत्यापन नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी ब्रांच का रिटर्न जोधपुर स्थित वृत कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः मार्गस्थ माल पर कश्वंचना किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को जारी नोटिस का जो प्रत्युत्तर अपीलार्थी की ओर से पेश किया गया है उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि वह नोटिस में वर्णित दोष स्वीकार करते हैं तथा नियमानुसार शास्ति जमा करवाने पर तैयार हैं। अपीलार्थी के उक्त प्रत्युत्तर दिनांक 23.03.2009 के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :–

> *"निवेदन है कि वाहन संख्या RJ14 1G 5686 में भरे 375 नग फोल्डिंग लोहा पलंग के सम्बन्ध में आपका कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ जिसकी पेशी दिनांक 30.03.2009 आप द्वारा निश्चित की गई है। परन्तु हमें माल की सरकारी विभाग में सप्लाई करने हेतु जल्दी आवश्यकता है तथा नोटिस में वर्णित दोष स्वीकार करते हैं। तथा निवेदन करते है कि उक्त केस का फैसला पेशी तारीख के स्थान पर आज ही करने की कृपा करावें। इस सम्बन्ध में नियमानुसार देय शास्ति व कर हम चैक द्वारा जमा करवाने को तैयार है, जिसे स्वीकार कर माल व वाहन को आज ही छोडने की कृपा करें।"*

6. अपीलार्थी की उपरोक्त स्पष्ट स्वीकारोक्ति के मध्यनजर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति की पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है अतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

7. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

14.06.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य